


न्यायालय :-हिमांशु कौशल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद


क्रमांक /  / मु.न्या.मजि. / 2020

होशंगाबाद, दिनांक 20.02.2020

:: सामान्य सूचना ::

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एडवाइजरी/निर्देश क्रमांक 345/आर.जी./2020 जबलपुर, दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाइजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुए केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टेट/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों (जेल बंदी के प्रकरणों को छोड़कर) को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत नियत किये जा रहे हैं -

सरल क. (1)	नियत दिनांक (2)	आगामी नियत दिनांक (3)
1	20.03.2020	03.04.2020
2	21.03.2020	04.04.2020
3	23.03.2020	07.04.2020
4	24.03.2020	08.04.2020
5	26.03.2020	09.04.2020
6	27.03.2020	09.04.2020
7	28.03.2020	11.04.2020
8	30.03.2020	13.04.2020
9	31.03.2020	15.04.2020


(हिमांशु कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
होशंगाबाद

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कॉलम नंबर-2 में वर्णित पेशी दिनाकों के वारंट/अभियुक्त को कॉलम नंबर-3 में वर्णित नियत दिनाकों को न्यायालय में पेश करें।
- ✓ 4- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर उक्त सूचना-पत्र को न्यायालय की बैवसाइट पर अपलोड करने बावत् प्रेषित।
- 5- न्यायालय के सूचना-पटल पर चरपा हेतु।

(हिमांशु कौशल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
होशंगाबाद
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
होशंगाबाद (म.प्र.)